न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–03/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0
2. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. गुल्ला पुत्र मल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाहाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र बाबत घोषणात्मक अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 286 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 254 मि./ 2–15 एवं 255/2–07 वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी पर वादी का पिता मंगला पुत्र प्रेमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काबिज चले आ रहे हैं।जो वादी के नाम जर्ये विरासत इंतकाल से कागजात माल में दर्ज हुई है। राजस्व कर्मचारियान की गलती से राजस्व रिकार्ड में वादी को बहैसियत गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया है। जिसकी वजह से वादी को काफी परेशानी उठानी पड रही है। वादी विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है। राज्य सरकार को कोई अधिकार नही है कि वो वादी को गैर खातेदार दर्ज करे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर अपने निर्णय दिनांक 09.07.03 द्वारा आराजी खसरा नंबर 286 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी का वादी रेस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जिस आदेश दिनांक 09.07.03 से असंतुष्ट होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मुख्य बहस से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करनी चाही। विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गयी ।

पैरोकार सरकार ने बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि निर्णय तहत अदालत दिनांक 09.07.03 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी की पूर्व में अपीलांटस को कोई जानकारी नही थी। रेस्पो0 वादी द्वारा तहत अदालत में इजराय प्रार्थना पत्र पेश करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, तत्पश्चात राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर अलवर राजस्थान से अपील करने की स्वीकृति दिनांक 08.10.2013 को प्राप्त हुई। राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की गई एवं राजकीय अधिवक्ता से अपील आदि तैयार करा कर अपील बिना देरी किये अदालत में पेश कर दी गई। तहसीलदार राजकार्य में व्यस्त थे। प्रकरण में राज्य सरकार के हित निहित हैं। इसलिये मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपना कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.03 से अपील प्रस्तुत करने तक का समय मियाद में मुजरा दिया जाकर पेशकर्दा अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने के लिये यह प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा पेश किया गया है। जहां आदेश आरम्भ से ही अवैध हो, शून्य हो, वहां मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। ऐसा निर्णय कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

जबाव बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में लगभग 5100 दिन का असाधारण विलम्ब किया है। यहां तक कि इतने लम्बी समयावधि में अपील पेश कर होने वाले विलम्ब के एक एक दिन का स्पष्ट कारण अपीलांट द्वारा नही बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कभी भी इतने लम्बे समयान्तराल पर नरम रूख नही अपनाया है। चूंकि अपील पेश करने में अपीलांट द्वारा असाधारण विलम्ब किया गया है इसका कोई ठोस कारण नही है।जिस कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
आरआरटी 2007(2) पेज 939, आरआरटी 2001(2) 1105, आरआरडी 1999 152 एचसी, आरआरटी 2009(1) 488, आरआरटी 2006(2) 1092 एचसी, आरआरटी 2015(1) 168.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09. 07.2003 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं क्योंकि असाधारण रूप से 5100 दिनों का विलम्ब है। असाधारण विलम्ब के कारण स्पष्ट, उचित व सम्यक् नही हैं। न्यायालय द्वारा सहानुभूति के आधार पर विलम्ब का शमन नही किया जा सकता है। विलम्ब के शमन के लिये पर्याप्त कारण नही दिया। अपील पूरी तरह से कालातीत है।

1996(1) आरएसआर पेज 714, 1998 एआईआर एससी पेज 227, 2000 आरएलआर(2) पेज 258 एवं अन्य नजीरों द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय सभी उच्च न्यायालयों का मत एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिये मार्गदर्शन का यही सार है कि लम्बी से लम्बी देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जबकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को संतुष्ट कर देवे। यदि ऐसा नही कर सकता है अथवा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषजनक, पर्याप्त या विश्वसनीय नही है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नही किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को राज्य सरकार अथवा निजी पक्षकार दोनों पर समान रूप से लागू होना माना गया है। उपरोक्त उल्लेखित नजीरों से बाध्य होते हुये न्यायालय वर्तमान अपील को राज्य सरकार की ओर से दायर करने में की गई देरी 11 वर्ष से अधिक समय की देरी को क्षमा योग्य नही मानता है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2003 का है। यह भी अंकित नही है कि इजराय प्रार्थना पत्र किस दिनांक को पेश किया अर्थात निर्णय की जानकारी कब हुई। जबकि तहत अदालत में दावा का उनवान 'गुल्ला बनाम सरकार' है। वाद 08.10.2002 को संस्थीत हुआ। पैरोकार सरकार की 26.06.2003 तक की उपस्थिति तहत अदालत की आदेशिका में अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार, जबकि स्वयं प्रतिवादी के रूप में थी, तब यह प्रार्थना पत्र में अंकित करना सर्वप्रथम इजराय प्रार्थना पत्र पेश करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई और प्रार्थना पत्र में इसकी भी दिनांक अंकित नही है।

अतः अपील पेश करने में असाधारण देरी लगभग 5100 दिन की घोर देरी की है। इसके भी प्रार्थना पत्र में उचित, स्पष्ट, व सम्यक् कारण पेश नही किये गये हैं। इस कारण अपील बुरी तरह से कालातीत है एवं देरी शमन योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट धारा 5 लिमिटेशन एक्ट उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2003 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
27.2.20
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर